न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – कैलाश बैरवा, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 03/2020
रजिस्ट्रेशन न. : 2020/00003

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री कल्याण सिंह पिता श्री किशोर सिंह जाति राजपुत निवासी कुंवालीया तहसील गढी जिला बॉसवाडा।
2. श्रीमती कुसुम कुंवर पत्नि श्री कल्याण सिंह जाति राजपुत निवासी कुंवालीया तहसील गढी जिला बॉसवाडा।
3. श्री मोहनलाल खंत पिता पाना जी खंत निवासी हाडमेडतीया तहसील गढी व जिला बॉसवाडा।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 27–02–2020

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1- श्री कल्याण सिंह पिता श्री किशोर सिंह जाति राजपुत निवासी कुंवालीया तहसील गढी जिला बॉसवाडा (ऋणी/बंधककर्ता) 2–श्रीमती कुसुम कुंवर पत्नि श्री कल्याण सिंह जाति राजपुत निवासी कुंवालीया तहसील गढी जिला बॉसवाडा(सहऋणी) एवं 3 श्री मोहनलाल खंत पिता पाना जी खंत निवासी हाडमेडतीया तहसील गढी व जिला बॉसवाडा(गारन्टर/अप्रार्थी) को दिनांक 12–01–2015 को राशि रुपया 200000 (दो लाख) का ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी के खाते दिनांक 24–06–2016 तक कुल बकाया ऋण राशि 219023 रू. (दो लाख उन्नीस हजार तेईस रूपया) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के क्रम में मोरगेज बाय डिपोजिट ऑफ टाईटल डीड्स के अन्तर्गत प्रतिभूति श्री कल्याण सिंह पिता श्री किशोर सिंह की आवासीय सम्पति जो ग्राम कुंवालीया, ग्राम पंचायत बिलोदा, तहसील गढी व जिला बांसवाडा पर स्थित है. माप लगभग 915 वर्ग फीट है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पति का अभिन्न अंग है, जिसके उत्तर में श्री राय सिंह पुत्र किशोर सिंह का मकान, दक्षिण में श्री मोती सिंह पुत्र किशोर सिंह का मकान, पूर्व आम रास्ता एवं पश्चिम में स्वयं की भूमी (पिछवाडा) है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

सेवा विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015 के अनुसार श्री एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप-खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 24-06-2016 को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नही हुए। अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 27-02-2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कैलाश बैरवा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Bairwa
Date: 2020.02.28 17:58:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: